न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I, (RAS)**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– **136/2022** GCMS 2022/275

प्रार्थी:–

1. **राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी**

अप्रार्थी:–

1. पंकज अग्रवाल पुत्र महावीर अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी
2. उप पंजीयक कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908

उपस्थित :– राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी
श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/02/2025

राज. पैरोकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इसी अनुवान का एक बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित मूल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नंबर 236/111 कुल रकबा 2.1525 है. किस्म बारानी प्रथम अविस्थत है। नकल जमाबंदी व राजस्व नक्शा संलग्न है। चालू भू–राजस्व अधिकार अभिलेख सम्वत् 2079 में उक्त भूमि की किस्म बारानी प्रथम भूमि है जिसका अप्रार्थी खातेदार है जिसमें अप्रार्थीगण का संपूर्ण हिस्सा निहीत है। उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि की वर्तमान किस्म बारानी प्रथम में अप्रार्थी पंकज अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी कुचामन सिटी द्वारा उपर्युक्त आराजी में से 2.1525 है. कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन [illegible] बिना अकृषि से कृषि भूमि को दुरूपयोग कर कृषि भूमि की उर्वरकता [illegible] नष्ट की है। अप्रार्थी ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नंबर 236/111 कुल रकबा 2.1525 है. किस्म बारानी प्रथम की भूमि को कृषि प्रयोजन से वाणिज्यिक में उपयोग में लेकर कृषि भूमि को उर्वरकता को भारी नुकसान कारित किया है, अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों का स्पष्टतया उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अप्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि में से 0.035 है. भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय उपयोग के रूप में कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है अतः ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नंबर 236/111 कुल रकबा 2.1525 है. किस्म बारानी प्रथम राजकीय दर्ज कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी द्वारा वादाधिन कृषि भूमि में अप्रार्थी द्वारा नाजायज तरीके से बिना किसी वैध प्राधिकारी के एवं बिना संपरिवर्तन करवाये गैर कृषि कार्य हेतु आवासीय उपयोग में लेकर कृषि भूमि का निरंतर दुरूपयोग कर क्षति एवं दुव्यय कारित किया जा रहा है। वादाधीन कृषि आराजी इन मिडियो है, इसलिए प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है। यदि दौरान मूल प्रकरण की सुनवाई के अप्रार्थी द्वारा वादाधीन कृषि भूमि में नया कच्चा—पक्का निर्माण करता है अथवा अन्यत्र बैचान हस्तानांतरण भारग्रस्त एवं किस्म परिवर्तन कर क्षति कारित करता है तो इससे अप्रार्थी को असुविधा एवं अपूर्तनीय क्षति होगी जिससे होने वाली क्षति की पूर्ति रूपयों में किया जाना असंभव है। ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नंबर 236/111 कुल रकबा 2.1525 है. किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं मूल प्रकरण की सुनवाई तक अप्रार्थी विवादित आराजी को अन्यत्र बैचान हस्तानांतरण भारग्रस्त दुर्व्यय नहीं करें तथा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग भी नहीं करें एवं उक्त आराजी में किसी प्रकार कच्चा—पक्का निर्माण नहीं करे एवं विवादित आराजी को नष्ट दुर्व्यय नहीं करे और गैर कृषि प्रयोजनार्थ दौराने वाद उपयोग—उपभोग नहीं करने की इस्तदुआ दी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस तामिल होकर प्राप्त। आवाजें लगाई गई। अनुपस्थित है। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी ने Objection किया है एवं मौजा ग्राम त्रिसिंझा के खसरा नंबर 236/111 कुल रकबा 2.1525 है. किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के संपरिवर्तन बाबत् श्रीमान आयुक्त नगरपरिषद् कुचामन सिटी द्वारा पुस्तक सं. 55 रसीद सं. 10 दिनांक 12.09.2023 को जारी की गई है जिसकी रसीद संलग्न है। प्रार्थना पत्र की कार्यवाही तहसीलदार कुचामन सिटी के समक्ष लंबित है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested

उभय प[illegible]र्थी ने बहस दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को व वकील अप्रार्थी [illegible] जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने अकृषि प्रयोग किया जाना स्वीकार किया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होने तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया अस्थाई निषेधाज्ञा को ता वाद फैसला सम्पूष्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested